

डिगरी व मुकदमे इत्तदाई
(ओ 20 रू 6-7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम महवा जि.दौसा (राज०)
पीठासीन अधिकारी लाखनसिंह गुर्जर आर०ए०एस

मुकदमा नं० 02./2024

जगमोहन कोली पुत्र रामधन जाति कोली निवासी तालचिडी तह. महवा।
- वादी

बनाम

1. केशव पुत्र अमरसिंह
2. भूरसिंह पुत्र हरेती
3. रामजीलाल पुत्र हीरालाल
4. सोन्या पुत्र छाज्या
5. मंगल पुत्र बुद्धा
6. शाखा प्रबंधक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा महवा।
7. उप पंजीयक महवा।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, महवा।

- प्रतिवादीगण

दावा वावत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुवरु मुझ लाखनसिंह गुर्जर आर०ए०एस० व हाजिरी वकील वादीगण धर्मसिंह राजपूत मिनजानिव राजू मुराडिया मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि:-

1. जगमोहन कोली पुत्र रामधन कोली जाति कोली निवासी तालचिडी- ख.नं. 511/1400 रकबा 0.06
ख.नं. 511 रकबा 0.16
2. मंगल पुत्र बुद्धा 36/56 हि. भूरसिंह पुत्र हरेती हि. 20/56 जाति कोली राहिन सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया महवा भूरसिंह का हिस्सा- ख.नं. 511/1 रकबा 0.22, खसरा नम्बर 511/2 रकबा 0.34
3. केशव पुत्र अमरसिंह 1/51 हि. भूरसिंह पुत्र हरेती हि. 12/51 राहिन सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया महवा, रामजीलाल पुत्र हीरालाल हि. 19/51 सोन्या पुत्र छाज्या हि. 19/51 जाति कोली सा.देह- ख.नं. 511/1400/1 रकबा 0.14
ख.नं. 511/1400/2 रकबा 0.37
उक्तानुसार ही खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टिया की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा